

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ  
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक:- एफ. 7(6) निपसिड/नई दिल्ली/प्रशि./आईसीडीएस/17/109603

जयपुर, दिनांक:

कार्यालय आदेश

14-6-18

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), नई दिल्ली द्वारा दिनांक 25 जून, 2018 से 29 जून, 2018 तक "बाल विकास से सम्बंधित मुद्दों पर सामुदायिक संगठन, एडवोकेसी, जागरूकता और आईसी अभियान पर कुशलता प्रशिक्षण" कार्यक्रम हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को नामांकित कर उक्त प्रशिक्षण में भाग लेने के निर्देश प्रदान किये जाते हैं। नामांकित अधिकारी दिनांक 25.06.2018 को प्रातः 9:00 बजे तक राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), 5, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली में आवश्यक रूप से उपस्थिति दें।

1. श्री हनुमान गौतम, बाल विकास परियोजना अधिकारी, लालसोट (दौसा)
2. श्रीमती मीनाक्षी वसीटा, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सलूमबर द्वितीय (उदयपुर)
3. श्रीमती मीना देसाई, बाल विकास परियोजना अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)
4. श्रीमती सुशीला देवी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सेवर (भरतपुर)
5. श्री जगदीश प्रसाद मीणा, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सपोटरा (करौली)
6. श्री सुधीर कुमार, बाल विकास परियोजना अधिकारी, बहरोड़ (अलवर)
7. श्री दिलीप गुप्ता, बाल विकास परियोजना अधिकारी, चेचट (कोटा)
8. श्री सुभाष विश्णोई, बाल विकास परियोजना अधिकारी, नोखा (बीकानेर)
9. श्री दुर्गा सिंह उदावत, बाल विकास परियोजना अधिकारी, डेगाना (नागौर)

प्रशिक्षणार्थियों को टी.ए./डी.ए. का भुगतान उनकी पात्रता अनुसार संस्थान के नियमानुसार किया जाएगा जोकि भारत सरकार के अनुरूप हैं। नियमानुसार रेल किराया/बस किराए (एसी/डीलक्स कोच) की प्रतिपूर्ति टीए बिल के साथ टिकट का प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद ही की जाएगी। हवाई यात्रा किराया : जो पात्र अधिकारी (5400/- रुपये या अधिकारी ग्रेड पे, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार) हवाई जहाज द्वारा यात्रा करना चाहते हैं वे सिर्फ एयर इंडिया(इकोनोमी क्लास) द्वारा ही यात्रा करें और हवाई यात्रा की टिकटें सीधे एयरलाइन्स से (बुकिंग काउंटर/एयरलाइन्स की वेबसाइट) अथवा प्राधिकृत ट्रेवल एजेंटों जैसे मै. बालमेर लॉरी एंड कंपनी, मै. अशोक ट्रेवल्स टूअर्स और आईआरसीटीसी से खरीदी जानी चाहिए। भारतीय रेलवे को दिया गया तत्काल शुल्क संस्थान द्वारा भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

  
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- एफ. 7(6) निपसिड/नई दिल्ली/प्रशि./आईसीडीएस/17/109604-624 जयपुर, दिनांक: 14-6-18  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. डॉ. के.सी. जार्ज संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), 5, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली-110016
2. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्.....
3. संबंधित उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग .....

4. संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ .....
5. उपनिदेशक/एसीपी, कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।



उप निदेशक (प्रशिक्षण)  
समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर।